उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-9/2016/सी०एम०-20/94-स्टा०नि०-2-2016-700(285)/15

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2016

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा-2 की उपधारा (9) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-एस०आर०-3495/11-90-500(61)-90, दिनांक 16 नवम्बर, 1990 को विखण्डित करते हैं।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 9/2016/सी०एम०-20/94स्टा०नि०-2-2016-700(285)/15, दिनांक 17 मार्च, 2016 प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 17 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियां स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2016/सी०एम०-20/94स्टा०नि०-2-2016-700(285)/15, दिनांक **17** मार्च, 2016 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अपेक्षा से प्रेषित कि कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपजिलाधिकारी/परगना अधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
8. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.9/2016/C.M.-20/94-Sta.Ni.-2-2016-700(285)/15, dated 17 March, 2016 for general information.

Notification

Order

No.9/2016/C.M.-20/94-Sta.Ni.-2-2016-700 (285)/15
Lucknow, Dated 17 March, 2016

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (9) of section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of General clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to rescind the Government notification no. S.R.-3495/11-90-500(61)-90 dated November, 16, 1990 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order

(Anil Kumar)
Pramukh sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in